ग्राम पंचायत भोगपुर, वि० ख० नालागढ़, ज़िला सोलन, हि०प्र० – 174101

के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत भोगपुर, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमति अनुवाला	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री अमरीक सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत भोगपुर के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अत्यधिक अन्तर पाया जाना	**9.26**
2	4.2	विभिन्न अनुदानों की रोकड़ बहियों में अनुचित/ असमर्थित/ फर्जी प्रविष्टियाँ पाया जाना	**2.44**
3	4.3	रोकड़ बहियों में राशि को पहले सभा निधि से 15 वाँ वित्त आयोग में स्थानान्तरण करना व दौवारा 15 वाँ वित्त आयोग से पाँच अलग-अलग प्रविष्टियाँ करके सभा निधि में स्थानान्तरित करना	**10.38**
4	6.1	अनुदान राशि का अवरोधन करना	**47.07**
5	7.1	पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर वसूली हेतु शेष पाया जाना	**1.07**
6	8.1	स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करना	**0.23**
7	8.2	वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को अनियमित भुगतान करना	**22.01**
8	8.3	सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान का पाया जाना	**0.18**
9	8.4	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को	**8.68**

		पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	
10	8.6	विभिन्न अनुदानों के अर्न्तगत निष्पादित विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करना	**41.94**
11	9.1	मनरेगा के मस्ट्रोलों के भुगतान को माप पुस्तिका में अंकित भुगतान योग्य राशि से अधिक राशि का अनियमित भुगतान करना	**0.32**
12	9.2	मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि का अनियमित भुगतान करना	**0.78**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत भोगपुर, विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का प्रथम व वर्तमान अंकेक्षण श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 10.03.2025 से 18.03.2025 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	12/2022	03/2023
2023-24	03/2024	06/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹5600/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 13/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 05/2025 दिनांक 10.03.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्रोत व BBNDA:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	479662.47	240118.88	719781.35	52234.89	667546.46
2023-24	667546.46	122480.00	790026.46	31162.00	758864.46

2. (क) अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	5071133.95	7392663.72	12463797.67	6763455.18	**5700342.49**
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	3393243.87	4737870.74	8131114.61	3424488.74	**4706625.87**

2 (ख) अनुदान

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2023-24 (14वां वित्तायोग)	211183.62	0.00	211183.62	0.00	**211183.62**
2023-24 (15वां वित्तायोग)	2095915.00	588836.00	2684751.00	1690854.20	**993896.80**

कुल योग (1+2क व 2 ख) =758864.46 + 4706625.87+211183.62+ 993896.80+ 100.00(नगदशेष)= **6670670.75**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹ 66,70,670.75** तथा बैंक खातों की राशि के अन्तशेष **₹ 57,44,526.30 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF	JCC बैंक, नालागढ़	101334001008035	0.00

2	सभा निधि / SF	JCC बैंक, नालागढ़	101334001000108	25752.75
3	3 रां राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)	JCC बैंक, नालागढ़	101334022000212	831321.91
4	5वां राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)			
5	14 वा वित्तायोग			
6	नेशनल रूलर हेल्थ मिशन NRHM			
7	सभा निधि / SF			
8	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			
9	13 वा वित्तायोग			
10	सभा निधि / SF	JCC बैंक, नालागढ़	101334022100031	159098.00
11	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)			
12	इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम	JCC बैंक, दभोटा	'102134022100001	0.00
13	14 वा वित्तायोग	JCC बैंक, दभोटा	102134022100006	216956.62
14	आपदा राहत कोष CRF	PNB रेरू जैरिवाला	09267000100031421	3124269.45
15	लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम LADP			
16	मेंबर ऑफ़ पार्लेमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS			
17	सभा निधि / SF			
18	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			
19	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)			
20	विकास में जन सहयोग योजना (V.M.J.S.Y.)			
21	सभा निधि / SF	PNB रेरू जैरिवाला	09267000100013300	0.00
22	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			
23	सभा निधि / SF	PNB रेरू जैरिवाला	09267000100028737	981041.80

24	15 वा वित्तायोग			
25	इंदिरा आवास योजना IAY			
26	राजीव आवास योजना एरस्टव्हील अटल आवास योजना RAYEAAY	SBI ADB नालागढ़	55106821689	406085.77
27	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			
			जोड़ (क)	5744526.30
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-			6670670.75
	पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			5744526.30
			अंतर :-	926144.45

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹9.26 लाख का अत्यधिक अन्तर बारे:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4(ख) के अनुसार **₹ 9,26,144.45** की राशि का अन्तर पाया गया इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि इस संदर्भ में त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया

जाता है कि रोकड़ बहियों का बैंक से मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके तथा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 विभिन्न अनुदानों की रोकड़ बहियों में ₹2.44 लाख की राशि का अनुचित/ असमर्थित/फर्जी प्रविष्टियाँ पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्र प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न अनुदानों कि रोकड़ बहियों के अवलोकन पर पाया गया की रोकड़ बही में राशि **₹2,44,122.44** की भुगतान प्रविष्टि दर्ज की गई थी जिसका विवरण निम्न तालिका अनुसार है जिसके समर्थन में कोई बिल/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पास बुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं पाया गया है, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित/असमर्थित प्रतीत होती हैं।

(i) व्यय

अनुदान	**रोकड़ बही वॉचर संख्या/ दिनांक**	**विवरण रोकड़ बही अनुसार**	**रोकड़ बही में इन्द्राज की गई राशि (₹)**
OWN	OWN/2022-23/P/29 – 31.03.2023	Bank Difference	27122.44
VMJS	VMJS/2022-23/P/1 – 01.02.2023	Wrong Entry	200000.00
5^{TH} SFC	5THSFC/2023-24/P/14 – 31.03.2024	Wrong Entry	17000.00
		कुल राशि	**2.44,122.44**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/भोगपुर दिनांक 17.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 17.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटि स्वीकार करते हुये बताया कि Online cashbook में गलती से यह इंद्राज की गई है, जिसे सही करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा व भविष्य में इस प्रकार की कोई Entry रोकड़ बही में नही की जायेगी। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर सभा निधि, 5वां वित्तायोग व विकास में जन सहयोग इत्यादि रोकड़ बहियों की विस्तृत जांच की जाये व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए अन्यथा अनुचित एवं असमर्थित राशि की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

4.3 रोकड़ बहियों में राशि ₹10.38 लाख की राशि को पहले सभा निधि से 15 वाँ वित्त आयोग में स्थानान्तरण करना व दौवारा 15 वाँ वित्त आयोग से पाँच अलग-अलग प्रविष्टियाँ करके सभा निधि में स्थानान्तरित करना : -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **10** के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रतः प्रविष्टि किया जाएगा व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई रखी जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित विवरण अनुसार रोकड़ बहियों में राशि ₹10,38,025.00 की राशि को पहले सभा निधि से 15 वाँ वित्त आयोग में स्थानान्तरण करना व द्वारा 15 वाँ वित्त आयोग से तीन अलग-अलग प्रविष्टियाँ करके सभा निधि में स्थानान्तरित करना ऐसा कोई लेन-देन किन्ही बिलों के भुगतान के लिए नहीं किया गया है यह प्रविष्टियाँ फर्जी प्रतीत होती है व इस प्रकार की कोई भी प्रविष्टियाँ करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से इसकी कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई।

(i) व्यय

अनुदान	क्रम संख्या	दिनांक	रोकड़ बही वॉचर संख्या	विवरण रोकड़ बही अनुसार	राशि (₹)	टिप्पणी
15TH FC	1	28.07.2022	XVFC/2022-23/P/3	निर्माण सिब्रेज करतार सिंह के घर से नाला तक	127201.00	Amount transferred to Sabha Nidhi
	2	01.08.2022	XVFC/2022-23/P/5	निर्माण सिब्रेज नाला हेली राम से मेन रोड तक महादेव	149219.00	
	3	01.08.2022	XVFC/2022-23/P/6	निर्माण गली मेन रोड से रतनु बेला दोलोवल	290735.00	
	4	01.08.2022	XVFC/2022-23/P/7	निर्माण गली लिंक रोड से विष्णु शर्मा के घर तक	191765.00	
	5	04.08.2022	XVFC/2022-23/P/9	अतिरिक्त राशि इन्टरलोक टाइल गली रट्टू	279105.00	
				कुल राशि	**1038025.00**	

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/भोगपुर दिनांक 17.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या NIL दिनांक 17.03.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि इन राशियों का भुगतान वित्त बर्ष 2020-2021 में 15TH FC से Off-line माध्यम से किया गया था, जो की Online माध्यम से होना चाहिए था, इसलिये **₹10,38,025.00** की राशि को पहले सभा निधि से 15TH FC के बैंक खाते में स्थानान्तरित किया गया व बाद में इस राशि को पूर्व में अदा की गई राशि के अनुसार सभा निधि में पुनः स्थानान्तरित किया गया है, इस प्रकार की किसी भी राशि का भुगतान किसी आपूर्तिकर्ता को नही किया गया है, यह केवल online भुगतान दिखाने के लिये किया गया है, भविष्य में इस प्रकार की गलती को नहीं दोहराया जायेगा, व इस प्रकार की कोई भी entry सम्बन्धित अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नही की जाएगी । उत्तर संतोषजनक नही पाया गया।

अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बहियों की जांच की जाये व वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

4.4 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि खाता बही अपूर्ण है भविष्य में नियमानुसार खाता बही का अद्यतन कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिये दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिये एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिये अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी । प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिये प्रविष्टि की जाएगी।

अंकेक्षण के दौरान वर्गीकृत सार रजिस्टर के अभाव के कारण पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बरबादी हुई है। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियंत्रित रखा जाना है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा उत्तर दिया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण वर्गीकृत सार तैयार नहीं किया गया है भविष्य में नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिये नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.6 योजनावार पृथक बैंक खाते न खोलना व एक योजना के एक से अधिक खाते खोलना : -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) के कार्यान्वयन हेतु योजनावार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी किए गए विभिन्न निर्देशों और दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की निम्नलिखित निधियों के आय व्यय हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता नहीं खोले गये है व कुछ योजनाओं के लिए एक से अधिक खातों का प्रयोग किया जा रहा है, जो की अनियमित है व जिस बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या
1	सभा निधि / SF	JCC बैंक, नालागढ़	101334001008035
2	सभा निधि / SF	JCC बैंक, नालागढ़	101334001000108
3	3 रां राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)	JCC बैंक, नालागढ़	101334022000212
4	5वां राज्य वित्तायोग (5^{TH} SFC)		
5	14 वा वित्तायोग		
6	नेशनल रूलर हेल्थ मिशन NRHM		
7	सभा निधि / SF		
8	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
9	13 वा वित्तायोग		
10	सभा निधि / SF	JCC बैंक, नालागढ़	101334022100031
11	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)		
12	इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम	JCC बैंक, दभोटा	'102134022100001
13	14 वा वित्तायोग	JCC बैंक, दभोटा	102134022100006
14	आपदा राहत कोष CRF	PNB रेरू जैरिवाला	09267000100031421
15	लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम LADP		
16	मेंबर ऑफ़ पार्लेमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS		
17	सभा निधि / SF		
18	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
19	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)		
20	विकास में जन सहयोग योजना (V.M.J.S.Y.)		
21	सभा निधि / SF	PNB रेरू जैरिवाला	09267000100013300
22	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		
23	सभा निधि / SF	PNB रेरू जैरिवाला	09267000100028737
24	15 वा वित्तायोग		
25	इंदिरा आवास योजना IAY	SBI ADB नालागढ़	55106821689

26	राजीव आवास योजना एरस्टव्हील अटल आवास योजना RAYEAAY		
27	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)		

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है की पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 10/2025/भोगपुर दिनांक 17.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 17.03.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया गया कि भविष्य में नियमानुसार योजना वार अलग-अलग बैंक खाते खोलकर व एक योजना केवल एक ही खाते का प्रयोग किया जाये व एक से अधिक खातों को बन्द करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व समस्त अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.7 PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) पर नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन न करने: -

निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए.(5)सी(15)-13(एल)5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार पंचायतों द्वारा ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) लेखा प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु योजना वार अलग-अलग बैंक खाता खोलने के संबंध में जारी विभिन्न दिशा-निर्देशों के अंतर्गत पंचायतों को सहायता

अनुदान/निधि जारी करने से संबंधित स्वीकृति पत्र में ई ग्राम स्वराज(PRIASoft) की आवश्यकता के अनुसार अनुदान के लेखा शीर्ष को दर्शाया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण के आय व्यय का लेखांकन सभा निधि रोकड़ बही में किया जा रहा है ।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा त्रुटि को स्वीकार करते हुये बताया कि भविष्य में नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण एवं लेखांकन कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिए आश्वासन अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी

अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹ 47.07 लाख का अवरोधन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा-निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 05/2025 दिनांक 10.03.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 47,06,625.87** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी को स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित

संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6.2 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **79**(2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज विभाग हि०प्र० के पत्र सं० पी०सी० एच०-एच०, ए० (5)(सी)(15)313/88-4614-478 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी व अन्य स्वीकृत एजेन्सी से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवायेगा ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदानों के आदेश/ स्वीकृति पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाये। लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदानों के आदेश व स्वीकृति पत्र विकास खण्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुए है जिन्हें भविष्य में प्राप्त कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए एवं अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.3 अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **61 (1)** के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है एवं नियम **79(2)** के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अनुदान रजिस्टर असंधारित है एवं भविष्य में अनुदान रजिस्टर को संधारित कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (**Update**) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखांकन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत राजस्व संपत्ति कर/गृहकर राशि ₹1.07 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2025/भोगपुर दिनांक 10.03.2025 की अनुपालना में पत्र क्रमांक NIL दिनांक 17.03.2025 द्वारा उपलब्ध

करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹50/- प्रति परिवार व वित्तीय वर्ष 2023-24 में ₹100/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹1,07,400.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका असंधारित होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर रजिस्टर को संधारित कर लिया जायेगा व 31.03.2024 के जो भी राशि वसूली हेतु शेष थी, उसे वित्त 2024-25 की गृहकर राशि के साथ वसूल करके आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को संधारित कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही ₹0.23 लाख के व्यय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार, पंचायत को सभी प्राप्तियों को प्रथमतः बैंक खाते में जमा तथा तदोपरान्त सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड बही, बैंक पास बुक व सम्बन्धित अभिलेख में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्व: स्त्रोत से प्राप्त आय को बैंक में जमा करवाये बिना सीधे ही निम्न विवरण अनुसार **₹22,719.00** का व्यय किया गया था, जिसका विवरण **परिशिष्ट " ड़ "** पर संलग्न है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है, अपितु आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत के स्व:-स्त्रोतों की आय के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 08/2025/भोगपुर दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक संख्या NIL दिनांक 17.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा बित्त बर्ष 2022 -23 व 2023-24 में कुल ₹22,719/- की राशि का भुगतान नगद रूप से किया गया है जो की इससे सम्बन्धित जानकारी के आभाव के कारण हुआ है, भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा । प्रस्तुत प्रत्युत्तर अंकेक्षणापत्ति अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अत: भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

8.2 वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के में रॉयल्टी से संबन्धित फार्म w या x प्रस्तुत किए बिना ठेकेदारों को ₹ 22.01 लाख का अनियमित भुगतान करना:-

अवधि 04/2022 से 03/2024 में रेत,बजरी व पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु खरीद की गई निर्माण सामग्री के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'X' या 'W' प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन-(आर.डी. एवं पी.आर)-डी.बी.जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30, दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म

"X"या "W" प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत,बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांज़िट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलग्न विवरण अनुसार ₹**22,00,895.32** का अनियमित भुगतान किया गया । जिसका विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है उक्त प्रकरण अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 12/2025/भोगपुर दिनाँक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भोगपुर के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा क्रमांक संख्या NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा सबन्धि आपूर्तिकर्ता से उचितं फार्म को प्रस्तुत करने को कहा जायेगा व आगामी अंकेंक्षण मे प्रस्तुत कर दिया जायगा व भविष्य में बिना ट्रांजिट पास के किसी भी खनन समग्री के बिलों का भुगतान नहीं किया जायेगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि क्रय की गई रेत व बजरी से संबधित फार्म w या x अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए अन्यथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी राशि की वसूली करने के उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.3 सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी., टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹0.18 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में एकल अनुबंध के अन्तर्गत ₹2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के व्यय चयनित माह 03/2023 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना एवं अनदेखी के परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के चयनित माह के दौरान कुल राशि **₹9,21,313.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी., टी.डी.एस. के रूप में भुगतान की गई राशि का 2% की दर से राशि **₹18,426.26** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में भुगतान के समय आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार जी.एस.टी., टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त भुगतान कर दिया गया है। ग्राम पंचायत इस त्रुटि को स्वीकार करती है। अतः अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी., टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए और भविष्य में भी भुगतान से पूर्व जी.एस.टी. टी.डी.एस. से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹8.68 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने, निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित है।

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित माह के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹8,68,401.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट – "ज"** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया जा सका व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत एवं तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.5 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹6.83 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना: -

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्थायी स्टॉक रजिस्टर असंधारित है जिसके अभाव में चयनित व्यय माह 03/2023 एवं 06/2023 के बिल /वाउचरों के अनुसार पंचायत द्वारा **परिशिष्ट "झ"** पर संलग्न विवरणानुसार राशि **₹6,82,901.00** के भण्डार की स्टॉक प्रविष्टि की पुष्टि नहीं की जा सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 17.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियमों के प्रतिकूल एवं तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है। स्टॉक रजिस्टर के अभाव में क्रय सामग्री/भंडार के दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

8.6 विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि ₹41.94 लाख से संबंधित वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम **94, 95** व **101** के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति व प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। नियम **79(2)** अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक(कों) सुसंगत अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणीयों और लेखों के रजिस्टर/ अभिलेख संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान बिल/वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों हेतु स्वीकृत राशि

₹41,94,301.00 से संबंधित प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट - " ञ "** में दिया गया है परिणामस्वरूप निष्पादित निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व मूल्यांकित राशि के अनुसार किए गए भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 के अन्तर्गत तथ्यों की पुष्टि उपरांत बताया गया कि विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों विकास कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, माप पुस्तिकाएं व उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है। वांछित अभिलेखों को प्रस्तुत न करना ग्राम पंचायत द्वारा नियमों एवं दिशा-निर्देशों की पालना के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है परिणामस्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा किसी व्यक्ति विशेष/ आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ पहुंचाने की संभावना एवं व्यय राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

अतः विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निष्पादित विकास कार्यों के वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने का तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये विभागीय स्तर पर मामले को उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ लाकर छानबीन एवं पड़ताल उपरांत समर्थित/वांछित अभिलेख एवं भौतिक सत्यापना सहित उक्त भुगतानों को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. मनरेगा के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित अनियमितता बारे

9.1 मनरेगा के मस्ट्रोलों के भुगतान को माप पुस्तिका में अंकित भुगतान योग्य राशि से अधिक ₹0.32 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों की पड़ताल पर पाया गया कि ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा अनुदान के अंतर्गत

₹31,665.00 राशि का अनियमित/ संदिग्ध भुगतान करना, जिसका विवरण **(परिशिष्ट - "ट")** में सलग्न है । तकनीकी सहायक द्वारा कुछ मस्ट्रोलों के अनियमित व संदिग्ध भुगतान हेतु "Adjustment Entries" करके अनियमित/ संदिग्ध भुगतान करने का प्रयास किया गया है, इन प्रविष्टियों का इसी कार्य के लिए किये पूर्ण में की गई प्रविष्टियों से कोई मेल नही है व ना ही जो वस्तुओं की दरें, जो इन्द्राज कि गई है उनका पूर्व में की गई प्रविष्टियों से मेल खाती है। इसके अतिरिक्त तकनीकी सहायक द्वारा माप पुस्तिका 3272 के पृष्ठ संख्या 1 से 29 तक अधिकतर पृष्ठों को खाली छोड़ा गया है जो कि गम्भीर अनियमितता है

इस संदर्भ में अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 11/2025/भोगपुर दिनांक: 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत भोगपुर को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: NIL दिनांक: 18.03.2025 द्वारा सूचित किया गया कि इस सन्दर्भ में तकनीकी सहायक से विस्तृत चर्चा कर ली गई है व उनसे यह गलती जानकारी के अभाव के कारण हुई है, इस सन्दर्भ में उचित स्त्रोत से वसूली करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर लिया जायेगा व ग्राम रोजगार सेवक से भी इस अनियमित भुगतान के बारे में चर्चा कर ली गई है, इस सम्बन्धित दस्तावेज़ असन्धारित है व भविष्य सम्बन्धित दस्तावेजों का संधारण किया जायेगा, यह गलती जानकारी के अभाव के कारण हुई है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है व दुर्विनियोजन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में माप गणना में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी से पूर्ण अभिलेखों सहित जाँच एवं सत्यापन सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए व पूर्ण अभिलेखों सहित अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएँ अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को राशि ₹0.78 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

निदेशक-सह-आयुक्त (मनरेगा) ग्रामीण विकास विभाग हिमाचल प्रदेश, के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार मनरेगा के अन्तर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सामग्री की खरीद हेतु आपूर्तिकर्ता के खातों में सामग्री का भुगतान करने के बजाय, इसे व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये खरीदी गई सामग्री हेतु भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि **₹78,429.94** का अतिरिक्त/ अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है , जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ठ "** पर संलग्न है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि इस स्न्धर्व में ग्राम रोजगार सेवक से विस्तृत चर्चा कर ली गई है व उन्होंने गलती के स्वीकार किया है व भविष्य में इस प्रकार की गलती को नही दोहराया जायेगा । प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति से समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत के चयनित माहों के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत किये गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत किये गए हैं वास्तव में उन्हीं को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 11/2024/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अतः FTOs (fund transfer orders) एवं Movement Slip का पंचायत में न पाया जाने को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹0.02 लाख की राजकीय कोष को राजस्व हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200.00(APL)/₹25.00(BPL) प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400.00(APL)/₹50.00(BPL) अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है तथा जिसे समय-समय पर वसूल करने के उपरांत विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹2,000.00** वसूली हेतु शेष है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ड"** पर संलग्न है। विवाह पंजीकरण शुल्क की नियमानुसार वसूली न करने के कारण राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2025/भोगपुर दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर सं०: NIL दिनांक 17.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त नहीं किया गया तथा उक्त राशि को पंचायत द्वारा आवेदनकर्ताओं से प्राप्त करके सभा निधि खाता में जमा करवा कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर तदोपरान्त सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.06 लाख को हि०प्र० राजकीय कोष में जमा न करने से राजस्व की हानि बारे: -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या **"0070-60-108-01"** में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आवेदनकर्ताओं से वसूली गई विवाह पंजीकरण शुल्क राशि **₹6,400.00** जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ढ "** पर संलग्न है को राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस कारण हि०प्र० राजकीय कोष को संभावित राजस्व की हानि प्रतीत होती है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2025/भोगपुर दिनांक 13.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर NIL दिनांक 17.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जिसे भविष्य में सुधार लिया जाएगा और की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये व अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में नियमित रूप से प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

10.3 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखों का अनुरक्षण न करना :-

11.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है जिस कारण अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत अभिलेखों एवं तथ्यों की सत्यता, पुष्टि एवं प्रमाणीकरण संभव नहीं हो सका।

(क) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	लेखा खाता	29(1)	07
4.	वर्गीकृत संक्षिप्त सार	29(4)	08
5.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
6.	बजट प्राक्कलन	37	11
7.	बिल प्राप्ति का रजिस्टर	48	13
8.	वेतन जांच रजिस्टर	58	18
9.	यात्रा भत्ता जाँच पड़ताल रजिस्टर	60	20
10.	स्टाम्प रजिस्टर	61 (2)	24
11.	लेखन सामग्री रजिस्टर	72 (1)	28
12.	संपरीक्षा और निरीक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति और निपटान को दर्शाता रजिस्टर	89	30
13.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
14.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (सामान्य) 1997 अनुसार

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	स्थाई स्टॉक रजिस्टर	34	01
2.	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	34	02
3.	स्टॉक सामग्री रजिस्टर	35	06
4.	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर	35	07
5.	सहायता अनुदान रजिस्टर	34	08
6.	कर रजिस्टर	34	16
7.	विकास कार्यों का लेखा जोखा	18(3), 27(3), 97(5) व 115(5)	34

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 09/2025/भोगपुर दिनांक 15.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 17.03.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया जा रहा, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 12/2025/भोगपुर दिनांक 18.03.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में तथ्यों की पुष्टि उपरांत उनके प्रतिउत्तर क्रमांक NIL दिनांक 18.03.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :-

(क) हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ख) PRIASoft लेखा प्रणाली (वर्तमान में E-Gram Swaraj) में खातों का रख-रखाव बारे नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(ग) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA Act 2005) एवं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्षवार जारी मनरेगा वार्षिक मास्टर परिपत्र (Annual Master Circular) और हि०प्र० पंचायती राज विभाग द्वारा वर्णित नियमों एवं समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से मनरेगा के क्रियान्वयन में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 13.5.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का०/प्रति

2712-2716 13 MAY 2025

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (4) 69/2025 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन हि0प्र0।

पंजीकृत 5. सचिव, ग्राम पंचायत भोगपुर, विकास खण्ड नालागढ़, जिला सोलन (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 13.5.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का०/प्रति

परिशिष्ट "क ", पैरा संख्या "4.196.1 " के सन्दर्भ में

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP BHOGPUR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES, BBNDA

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	479662.47	240118.88	719781.35	52234.89	667546.46
2023-24	667546.46	122480.00	790026.46	31162.00	758864.46

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23 (INCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	5071133.95	7392663.72	12463797.67	6763455.18	5700342.49
2023-24 (EXCLUDING 14TH FC & 15TH FC)	3393243.87	4737870.74	8131114.61	3424488.74	4706625.87

ONLINE AUDIT

GRANTS-IN AID	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
14TH FC	2023-24	211183.62	0.00	211183.62	0.00	211183.62
15TH FC	2023-24	2095915.00	588836.00	2684751.00	1690854.20	993896.80

Amrik Singh
सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि०प्र०

परिशिष्ट " 29 ", पैरा संख्या " 4.1961 " के सन्दर्भ में

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP BHOGPUR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5TH SFC	2022-23	141850.00	238600.00	380450.00	316700.00	63750.00
		2023-24	63750.00	360440.00	424190.00	278100.00	146090.00
2	VKVNY	2022-23	1721296.12	5029966.00	6751262.12	4152686.02	2598576.10
		2023-24	2598576.10	4015638.00	6614214.10	2784596.00	3829618.10
3	SBM	2022-23	258979.21	102.00	259081.21	5089.44	253991.77
		2023-24	253991.77	0.00	253991.77	0.00	253991.77
4	VMJS	2022-23	200000.00	0.00	200000.00	200000.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RAYEAAY	2022-23	12500.00	0.00	12500.00	0.00	12500.00
		2023-24	12500.00	0.00	12500.00	0.00	12500.00
6	RGSA	2022-23	146058.00	0.00	146058.00	0.00	146058.00
		2023-24	146058.00	0.00	146058.00	0.00	146058.00
7	NRHM	2022-23	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
		2023-24	20000.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00
8	IWDP	2022-23	7698.00	134169.00	141867.00	141867.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	IAY	2022-23	105730.00	0.00	105730.00	0.00	105730.00
		2023-24	105730.00	0.00	105730.00	0.00	105730.00
10	13TH FC	2022-23	192638.00	0.00	192638.00	0.00	192638.00
		2023-24	192638.00	0.00	192638.00	0.00	192638.00
11	MNREGA	2022-23	0.00	438174.72	438174.72	438174.72	0.00
		2023-24	0.00	361792.74	361792.74	361792.74	0.00
12	14TH FC	2022-23	205424.62	5759.00	211183.62	0.00	211183.62
13	15TH FC	2022-23	2058960.00	1545893.00	3604853.00	1508938.00	2095915.00

	ONLINE AUDIT 2023-24						
SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	14TH FC	2023-24	211183.62	0.00	211183.62	0.00	211183.62
2	15TH FC	2023-24	2095915.00	588836.00	2684751.00	1690854.20	993896.80

Amrik Singh
सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि०प्र०

परिशिष्ट " ग ", पैरा संख्या " 4(ग) " के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत भोगपुर, विकास खण्ड नालागढ़, ज़िला सोलन, हि०प्र०, पिन-174101

बैंक व रोकड़ बही अंतर

ग्राम पंचायत भोगपुर के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र० स०	शीर्ष	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.24 को
1	सभा निधि / SF	JCC बैंक, नालागढ़	101334001008035	0.00
2	सभा निधि / SF	JCC बैंक, नालागढ़	101334001000108	25752.75
3	3 रा राज्य वित्तायोग (5TH SFC)	JCC बैंक, नालागढ़	101334022000212	831321.91
4	5वां राज्य वित्तायोग (5TH SFC)			
5	14 वा वित्तायोग			
6	नेशनल रूलर हेल्थ मिशन NRHM			
7	सभा निधि / SF			
8	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			
9	13 वा वित्तायोग			
10	सभा निधि / SF	JCC बैंक, नालागढ़	101334022100031	159098.00
11	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)			
12	इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम	JCC बैंक, दभोटा	'102134022100001	0.00
13	14 वा वित्तायोग	JCC बैंक, दभोटा	102134022100006	216956.62
14	आपदा राहत कोष CRF	PNB रेरू जैरिवाला	09267000100031421	3124269.45
15	लोकल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम LADP			
16	मेंबर ऑफ़ पार्लेमेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS			
17	सभा निधि / SF			
18	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			
19	विधायक क्षेत्रीय विकास निधि योजना (V.K.V.N.Y.)			
20	विकास में जन सहयोग योजना (V.M.J.S.Y.)			
21	सभा निधि / SF	PNB रेरू जैरिवाला	09267000100013300	0.00
22	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			
23	सभा निधि / SF	PNB रेरू जैरिवाला	09267000100028737	981041.80
24	15 वा वित्तायोग			
25	इंदिरा आवास योजना IAY	SBI ADB नालागढ़	55106821689	406085.77
26	राजीव आवास योजना एरस्टव्हील अटल आवास योजना RAYEAAY			
27	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)			
			जोड़ (क)	5744526.30
			हस्तगत शेष (ख)	100.00
			कुल जोड़ (क + ख)	5744626.30
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-			6670670.75
	पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-			5744526.30
			अंतर :-	926144.45

सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि.प्र.

परिशिष्ट " घ ", पैरा संख्या " 7.1 " के सन्दर्भ में

कार्यालय ग्राम पंचायत भोगपुर, वि० ख० नालागढ़, जिला सोलन, हि० प्र० - 174101

दिनांक 31.03.2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर / ग्रहकर : -

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 393 का ₹ 50.00 तथा 2023-24 में 412 परिवारों का ₹ 100.00 प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से : -

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	46550	393	₹ 50.00	₹ 19,650.00	₹ 66,200.00	₹ 0.00	₹ 66,200.00
2023-24	66200	412	₹ 100.00	₹ 41,200.00	₹ 107,400.00	₹ 0.00	₹ 107,400.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹ 107400/-** है।						

Amrik Singh

सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि.प्र.

-41- 38

परिशिष्ट " ङ ", पैरा संख्या " 8.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा ₹ 0.23 लाख कि राशि का रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही करने की सूचि

क्रम स.	वाउचर संख्या	दिनांक	रोकड़ व्यय जो बैंक के माध्यम से नही किया गया व अनुमित राशि से अधिक राशि का नगद रूप में व्यय करना	राशि (₹)	टिप्पणी
1	OWN/2022-23/P/2	07.04.2022	Bijli bill	1024	राशि को बैंक से निकलकर नगद रूप में खर्च करना
2	OWN/2022-23/P/3	07.04.2022	Office Expanse	6400	राशि को बैंक से निकलकर नगद रूप में खर्च करना
3	OWN/2022-23/P/4	07.04.2022	Office Expanse	1550	राशि को बैंक से निकलकर नगद रूप में खर्च करना
4	OWN/2022-23/P/5	07.04.2022.	Office Expanse	3550	राशि को बैंक से निकलकर नगद रूप में खर्च करना
5	OWN/2022-23/P/21	31.12.2022	Office Expanse	850	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
6	OWN/2022-23/P/24	10.01.2023	Office Expanse	2000	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
7	OWN/2022-23/P/26	23.02.2023	Office Expanse	1093	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
8	OWN/2023-24/P/10	01.12.2023	Office Expanse	4000	राशि को बैंक से निकलकर नगद रूप में खर्च करना
9	OWN/2023-24/P/18	02.03.2024	Office Expanse	2252	राशि को बैंक में जमा ना करके सीधे खर्च करना
			कुल राशि	22719	

Amrik Singh
सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि.प्र.

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के दौरान ₹ 22.01 लाख राशी के बिलों के अनियमित भुगतान का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	कुल राशि	ट्रांजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
		(A) अनुदान शीर्ष : VKVNY/15FC (2022-23)							
1	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/3	050-01.05.2022	Bajri	1500	CFT	31.5	47250.00	उपलब्ध नही है
2	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/4	051-01.05.2022	W/sand	1500	CFT	26.25	39375.00	उपलब्ध नही है
3	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/5	052-01.05.2022	Bajri	1500	CFT	31.5	47250.00	उपलब्ध नही है
4	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/6	053-01.05.2022	Bajri	1500	CFT	31.5	47250.00	उपलब्ध नही है
5	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/7	054-01.05.2022	W/sand	1200	CFT	26.25	31500.00	उपलब्ध नही है
6	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/8	055-01.05.2022	Bajri	1200	CFT	31.5	37800.00	उपलब्ध नही है
7	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/9	056-01.05.2022	W/sand	750	CFT	26.25	19687.50	उपलब्ध नही है
8	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/16	057-25.05.2022	Bajri	1500	CFT	31.5	47250.00	उपलब्ध नही है
9	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/17	058-25.05.2022	Bajri	1050	CFT	31.5	33075.00	उपलब्ध नही है
10	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/18	059-02.06.2022	W/sand	1250	CFT	26.25	32812.50	उपलब्ध नही है
11	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/19	060-02.06.2022	W/sand	1000	CFT	26.25	26250.00	उपलब्ध नही है
12	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/21	061-21.07.2022	W/sand	800	CFT	26.5	21200.00	उपलब्ध नही है
13	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/22	062-21.07.2022	Bajri	1400	CFT	31.5	44100.00	उपलब्ध नही है
14	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/36	066-19.11.2022	Dust	500	CFT	26.25	13125.00	उपलब्ध नही है
		VKVNY/2022-23/P/37		w/Sand	500	CFT	26.25	13125.00	
		VKVNY/2022-23/P/38		Bajri	500	CFT	31.5	15750.00	
15	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/43	067-15.12.2022	Bajri	1500	CFT	31.5	47250.00	उपलब्ध नही है
16	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/44	068-15.12.2022	Bajri	1000	CFT	31.5	31500.00	उपलब्ध नही है
17	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/45	069-15.12.2022	W/sand	1500	CFT	26.25	39375.00	उपलब्ध नही है
18	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/48	070-15.12.2022	Bajri	500	CFT	31.5	42262.50	उपलब्ध नही है
				Dust	650	CFT	26.25		
				Gatka	300	CFT	31.5		
19	Satish Kumar Govt. Cont.	VKVNY/2022-23/P/49	76-15.12.2022	Bhran	45	trolly	1102.5	102532.50	उपलब्ध नही है
20	Satish Kumar Govt. Cont.		77-15.12.2022	Bhran	24	trolly	1102.5		
21	Satish Kumar Govt. Cont.		78-15.12.2022	Bhran	24	trolly	1102.5		

-45- 48

Amrik Singh

सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि.प्र.

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	कुल राशि	ट्रांजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
22	Satish Kumar Govt. Cont.	XVFC/2022-23/P/8	063-22.07.2022	W/sand	50	CFT	26.25	18900.00	उपलब्ध नही है
				Dust	550	CFT	26.25		
				Bajri	100	CFT	31.5		
23	Satish Kumar Govt. Cont.	XVFC/2022-23/P/10	064-22.07.2022	W/sand	250	CFT	26.25	9712.00	उपलब्ध नही है
				Dust	100	CFT	31.5		
							कुल राशि	808332.00	
		(B) मनरेगा 2022-23 / 2023-24							
1	Satish Kumar Govt. Cont.	NIL- 22.08.2022	38-25.07.2022	W/SAND	575	CFT	26.25	15093.75	उपलब्ध नही है
2		NIL - 22.08.2022	39-25.07.2022	BAJRI 20m	460	CFT	31.5	14490.00	उपलब्ध नही है
3		NIL- 22.08.2022	40- 25.07.2022	BAJRI 40m	600	CFT	31.5	18900.00	उपलब्ध नही है
4	Satish Kumar Govt. Cont.	NIL- 22.08.2022	47-15.07.2022	SAND	110	CFT	26.25	2887.50	उपलब्ध नही है
				BAJRI 10m	95	CFT	31.5	2992.50	
				BAJRI 20m	95	CFT	31.5	2992.50	
5	Satish Kumar Govt. Cont.	NIL- 22.08.2022	45-15.07.2022	SAND	110	CFT	26.25	2887.50	उपलब्ध नही है
				BAJRI	80	CFT	31.5	2520.00	
6	Satish Kumar Govt. Cont.	NIL- 22.08.2022	48-15.07.2022	SAND	110	CFT	26.25	2887.50	उपलब्ध नही है
				BAJRI 10m	65	CFT	31.5	2047.50	
				BAJRI 20m	65	CFT	31.5	2047.50	
7	Satish Kumar Govt. Cont.	NIL- 22.08.2022	007-04.07.2022	SAND	95	CFT	26.25	2493.75	उपलब्ध नही है
8	Satish Kumar Govt. Cont.	NIL- 22.08.2022	035-20.07.2022	SAND	950	CFT	26.25	24937.50	उपलब्ध नही है
9		NIL- 22.08.2022	036- 20.07.2022	BAJRI 20m	700	CFT	31.5	22050.00	उपलब्ध नही है
10		NIL- 22.08.2022	037-20.07.2022	BAJRI 40m	1200	CFT	31.5	37800.00	उपलब्ध नही है
11	Satish Kumar Govt. Cont.	NIL-29.02.2024	091-12.04.2023	SAND	0.85	CMT	1111	944.35	उपलब्ध नही है
				BAJRI 20m	0.4	CMT	1276	510.40	
				BAJRI 40m	1.2	CMT	1069	1282.80	
12	Satish Kumar Govt. Cont.	NIL-29.02.2024	086-12.04.2023	SAND	0.6	CMT	1111	666.60	उपलब्ध नही है
				BAJRI 20m	0.34	CMT	1276	433.84	
				BAJRI 40m	0.92	CMT	1069	983.48	
13	Satish Kumar Govt. Cont.	NIL-29.02.2024	088-12.04.2023	SAND	0.65	CMT	1111	722.15	उपलब्ध नही है
				BAJRI 20m	0.35	CMT	1276	446.60	
				BAJRI 40m	0.9	CMT	1069	962.10	
							कुल राशी	163979.82	
	कुल खनन समग्री जो SATISH KUMAR GOVT. CONT. से खरीदी गई (A+B)							972311.82	

O/L
सचिव Amrik Singh
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि०प्र०

-46- 51

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	कुल राशि	ट्रांजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
(C) अनुदान शीर्ष : VKVNY (2023-24)									
1	Gian Chand Govt. Cont.	VKVNY/2023-24/P/3	01-4.05.2023	Bajri 40mm	3750	CFT	36.75	137812.50	उपलब्ध नही है
		VKVNY/2023-24/P/4		Bajri 20mm	2500	CFT	36.75	91875.00	
		VKVNY/2023-24/P/5		W/sand	3900	CFT	33.6	131040.00	
2	Gian Chand Govt. Cont.	VKVNY/2023-24/P/8	5-4.06.2023	Bajri 65mm	150	CFT	33.6	54600.00	उपलब्ध नही है
				Bajri 20mm	800	CFT	36.75		
				W/sand	600	CFT	33.6		
3	Gian Chand Govt. Cont.	VKVNY/2023-24/P/10	23-21.06.2023	Bajri	4100	CFT	36.75	202755.00	उपलब्ध नही है
				W/sand	1550	CFT	33.6		
4	Gian Chand Govt. Cont.	VKVNY/2023-24/P/14	27-27.11.2023	Bajri	3000	CFT	36.75	177450.00	उपलब्ध नही है
				W/sand	1500	CFT	33.6		
				Gatka	500	CFT	33.6		
5	Gian Chand Govt. Cont.	VKVNY/2023-24/P/18	88-25.02.2024	Bajri	750	CFT	36.75	101962.50	उपलब्ध नही है
				Gatka	150	CFT	33.6		
				Dust	300	CFT	33.6		
				W/sand	500	CFT	33.6		
				Bhran	72	trolly	590		
							कुल राशि	897495.00	
(D) 2023-24 में 15 वें वित्तायोग में खरीदी गई खनन समग्री									
1	Gian Chand Govt. Cont.	XVFC/2023- 24/P/2 - 15/05/2023	03-11.05.2023	Bajri	900	CFT	36.75	64323.00	उपलब्ध नहीं है
				Dust	500	CFT	33.6		
				W/sand	430	CFT	33.6		
2	Gian Chand Govt. Cont.	XVFC/2023- 24/P/4 - 15/05/2023	02-11.05.2023	Bajri	950	CFT	36.75	68177.00	उपलब्ध नहीं है
				Dust	550	CFT	33.6		
				W/sand	440	CFT	33.6		
3	Gian Chand Govt. Cont.	XVFC/2023- 24/P/6 - 17/06/2023	19-16.06.2023	Sand	400	CFT	36.75	44100.00	उपलब्ध नहीं है
				Bajri	800	CFT	36.75		
4	Gian Chand Govt. Cont.	XVFC/2023- 24/P/6 - 17/06/2023	20-16.06.2023	Sand	300	CFT	36.75	45937.00	उपलब्ध नहीं है
				Bajri	650	CFT	36.75		
				White Stone	300	CFT	36.75		
5	Gian Chand Govt. Cont.	XVFC/2023- 24/P/11 - 17/06/2023	21-16.06.2023	Dust	240	CFT	33.6	9901.50	उपलब्ध नहीं है
				Bajri	50	CFT	36.75		

Amrik Singh
सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि.प्र.

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	कुल राशि	ट्रांजिट पास में अंकित बस्तु का भार (टन)
6	Gian Chand Govt. Cont.	XVFC/2023- 24/P/22 - 24/01/2024	14-19/01/2024	W/sand	200	CFT	33.6	28298.00	उपलब्ध नहीं है
				Bajri	450	CFT	36.75		
				Dust	150	CFT	33.6		
7	Gian Chand Govt. Cont.	XVFC/2023- 24/P/25 - 24/01/2024	13-19/01/2024	W/sand	250	CFT	33.6	35176.00	उपलब्ध नहीं है
				Bajri	500	CFT	36.75		
				Dust	250	CFT	33.6		
8	Gian Chand Govt. Cont.	XVFC/2023- 24/P/28 - 24/01/2024	12-19/01/2024	W/sand	150	CFT	33.6	35176.00	उपलब्ध नहीं है
				Bajri	150	CFT	36.75		
				Dust	150	CFT	33.6		
							कुल राशि	331088.50	
वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में खरीदी गई कुल खनन समग्री								2200895.32	

O/C
सचिव Amrik Singh
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि०प्र०

Kanchan Devi
GRS

-46- 93

परिशिष्ट " ६ ", पैरा संख्या " 8·3 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 03/2023 के सभी अनुदानों व 06/2023 के वोउचरों में सभी स्रोतों पर आयकर की कटौती न करके के कारण ₹ 0.18 लाख की वसूली न करने की सूची

क्र० सं०	शीर्ष	काम का व्योरा	वा0 सं ० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	कटौती की दर	स्रोत पर कर की राशी (₹)
1	VKVNY	नि. डंगा रोड के साथ गज्जन सिंह , श्याम सिंह गांव दोलोवाल	VKVNY/2023-24/P/8	Gian Chand Govt. Cont.	5-4.06.2023	Bajri 65mm	150	33.6	5040	5040	2%	100.80
						Bajri 20mm	800	36.75	29400	29400	2%	588.00
						W/sand	600	33.6	20160	20160	2%	403.20
						Shatring	10	200	2000	2000	2%	40.00
2	VKVNY	नि. लिंक रोड गांव महादेव मिल्खी राम से चेत राम वास	VKVNY/2023-24/P/7	Gian Chand Govt. Cont.	10-07.06.2023	सरिया 1684 kg	0	0	115548	115548	2%	2310.96
			VKVNY/2023-24/P/10	Gian Chand Govt. Cont.	23-21.06.2023	Bajri	4100	36.75	150675	150675	2%	3013.50
						W/sand	1550	33.6	52080	52080	2%	1041.60
						Shatring	0	0	82700	82700	2%	1654.00
3	15TH FC	नि. गली मेन रोड से रतनू दोलोवाल	XVFC/2023- 24/P/2 - 15/05/2023	Gian Chand Govt. Cont.	3/11.05.2023	Bajri	900	36.75	33075	64323	2%	1286.46
						Dust	500	33.6	16800			
						W/sand	430	33.6	14448			
4	15TH FC	नि.गली OBC वास नसराली	XVFC/2023- 24/P/4 - 15/05/2023	Gian Chand Govt. Cont.	02-11.05.2023	Bajri	950	36.75	34912.5	68177	2%	1363.54
						Dust	550	33.6	18480			
						W/sand	440	33.6	14784			
5	15TH FC	नि. गली मेन रोड से रतनू दोलोवाल	XVFC/2023- 24/P/1 - 15/05/2023	M/S Choudhary Pipe& Tile Ind.	135/10.05.2023	I/L Tiles 60mm	10000	15.85	158474	158474	2%	3169.48
6	15TH FC	नि.गली OBC वास नसराली	XVFC/2023- 24/P/3 - 15/05/2023	M/S Choudhary Pipe& Tile Ind.	134/10.05.2023	I/L Tiles 60mm	10900	15.85	172736	172736	2%	3454.72
									कुल राशि	921313		18426.26

सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि.प्र.

-4/7- 44

परिशिष्ट " 5 ", पैरा संख्या " 8.4 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा माह 03/2023 सभी अनुदानों में व 06/2023 के दौरान 15 वाँ आयोग के अतिरिक्त औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक ₹ 8.68 लाख की सूची

क्र० सं०	शीर्ष	काम का ब्योरा	वा० सं० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि	टिप्पणी
1	VKVNY	नि. पक्का पाथ स्ट्रीटसिबरेज महादेव रोड से स्कूल तक	VKVNY/2022-23/P/48	Satish Kumar Govt. Cont.	070-15.12.2022	Bajri	500	31.5	15750	15750	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
						Dust	650	26.25	17062.5	17062.5	
2						Gatka	300	31.5	9450	9450	
				SHIV SHAKTI BRICKS TRADERS	878-15.12.2022	Bricks	1500	7	10500	10500	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
3				Thakur Tiles Ind.	613-15.12.2022	I/L Tiles	6000	15.93	95580	95580	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
4				Mohit Chandel Shatring Store	2494-15.12.2022	Shatring	20	230	4600	4600	निविदायें प्रस्तुत नही की गई व GST बिल्लों के बिना भुगतान करना
5				Mohit Chandel Shatring Store	2495-15.12.2022	Water Tank	15	500	7500	7500	निविदायें प्रस्तुत नही की गई व GST बिल्लों के बिना भुगतान करना
6						Mixor	15	500	7500	7500	
7				Dara Engg. Works	06-15.12.2022	Chembar 2 no. 65kg	65	90	5850	5850	
				Jai Mata Treders	752-15.12.2022	PVC फिटिंग सामान	0	0	36260	36260	निविदायें प्रस्तुत नही की गई व GST बिल्लों के बिना भुगतान करना
8					753-15.12.2022		0	0	14210	13740	
				Ruhani Constt. And Concrete Works	305-21.01.2023	RCC Pipe With S&S	3	1091	3273	3273	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
9	VKVNY	नि. लिंक रोड़ कांगड़ा ,बिलासपुर बस्ती से पीर स्थान भोगपुर	VKVNY/2022-23/P/49	Satish Kumar Govt. Cont.	075-15.12.2022	किराया सिमेंट बैग	1150	28	32200	32200	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
10											
11					76-15.12.2022	Bhran	45	1102.5	49612.5	49612.5	
12					77-15.12.2022	Bhran	24	1102.5	26460	26460	
13					78-15.12.2022	Bhran	24	1102.5	26460	26460	
				Mohit Chandel Shatring Store	2496-15.12.2022	Mixor	46	500	23000	23000	निविदायें प्रस्तुत नही की गई व GST बिल्लों के बिना भुगतान करना
					2497-15.12.2022	Water Tank	52	500	26000	26000	
14	VKVNY	नि. डंगा रोड के साथ गज्जन सिंह , श्याम सिंह गांव दोलोवाल	VKVNY/2023-24/P/8	Gian Chand Govt. Cont.	5-4.06.2023	Bajri 65mm	150	33.6	5040	5040	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
						Bajri 20mm	800	36.75	29400	29400	
						W/sand	600	33.6	20160	20160	
						Shatring	10	200	2000	2000	
15	VKVNY	नि. लिंक रोड गांव महादेव मिल्खी राम से चेत राम वास	VKVNY/2023-24/P/7	Gian Chand Govt. Cont.	10-07.06.2023	सरिया 1684 kg	0	0	115548	115548	निविदायें प्रस्तुत नही की गई
16			VKVNY/2023-24/P/10	Gian Chand Govt. Cont.	23-21.06.2023	Bajri	4100	36.75	150675	150675	निविदायें आमन्त्रित करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन ना देना
						W/sand	1550	33.6	52080	52080	
						Shatring	0	0	82700	82700	
									कुल राशि	868401	

सचिव Amrik Singh
ग्राम पंचायत भोगपुर
विकास खण्ड नालागढ़ (सोलन) हि.प्र.

-48- 95

परिशिष्ट "झ", पैरा संख्या "8.5" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 03/2023 के सभी अनुदानों व 06/2023 में 15 वाँ वित्त आयोग के अतिरिक्त सभी अनुदानों में क्रय किये गये ₹ 6.83 लाख की सामग्री की सूची, जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र० सं०	शीर्ष	काम का ब्योरा	वा0 सं ० / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	मात्रा	दर	कुल राशि	भुगतान की गई राशि
1										
2	VKVNY	नि. पक्का पाथ स्ट्रीटसिबरेज महादेव रोड से स्कूल तक	VKVNY/2022-23/P/48	Satish Kumar Govt. Cont.	070-15.12.2022	Bajri	500	31.5	15750	15750
3						Dust	650	26.25	17062.5	17062.5
						Gatka	300	31.5	9450	9450
4				SHIV SHAKTI BRICKS TRADERS	878-15.12.2022	Bricks	1500	7	10500	10500
5				Thakur Tiles Ind.	613-15.12.2022	I/L Tiles	6000	15.93	95580	95580
6										
7				Dara Engg. Works	06-15.12.2022	Chembar 2 no. 65kg	65	90	5850	5850
8				Jai Mata Treders	752-15.12.2022	PVC फिटिंग सामान	0	0	36260	36260
					753-15.12.2022		0	0	14210	13740
9				Ruhani Constt. And Concrete Works	305-21.01.2023	RCC Pipe With S&S	3	1091	3273	3273
10	VKVNY	नि. लिंक रोड़ कांगड़ा ,बिलासपुर बस्ती से पीर स्थान भोगपुर	VKVNY/2022-23/P/49	Satish Kumar Govt. Cont.	76-15.12.2022	Bhran	45	1102.5	49612.5	49612.5
11					77-15.12.2022	Bhran	24	1102.5	26460	26460
12					78-15.12.2022	Bhran	24	1102.5	26460	26460
13	VKVNY	नि. डंगा रोड के साथ गज्जन सिंह , श्याम सिंह गांव दोलोवाल	VKVNY/2023-24/P/8	Gian Chand Govt. Cont.	5-4.06.2023	Bajri 65mm	150	33.6	5040	5040
						Bajri 20mm	800	36.75	29400	29400
						W/sand	600	33.6	20160	20160
14	VKVNY	नि. लिंक रोड गांव महादेव मिल्खी राम से चेत राम वास	VKVNY/2023-24/P/7	Gian Chand Govt. Cont.	10-07.06.2023	सरिया 1684 kg	0	0	115548	115548
15			VKVNY/2023-24/P/10		23-21.06.2023	Bajri	4100	36.75	150675	150675
						W/sand	1550	33.6	52080	52080
									कुल राशि	682901

Amrik Singh
सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि०प्र०

-49- 45

परिशिष्ट "ज", पैरा संख्या "8.6" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा वित्त बर्ष 2022-23 व 2023-24 के चयनित माह 03/2023 व 06/2023 के विभिन्न अनुदानों के निर्माण कार्यों ₹ 41.94 लाख राशि के से सम्बंधित कार्यों का प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशाशनिक स्वीकृति / कार्य आदेश, फंड ट्रान्सफर ऑर्डर व मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने की सूचि

क्र० सं०	शीर्ष	कार्य का नाम	प्राक्कलन	स्वीकृति वर्ष	तकनीकी स्वीकृति सं०/ दिनांक	प्रशाशनिक स्वीकृति सं०/ दिनांक	स्वीकृत राशि	कुल व्यय राशि	माप पुस्तिका / पृष्ट संख्या	कार्य स्थिति (पूर्ण/ अपूर्ण)	फॉर्म 13C/ फॉर्म 35	कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1	IWDP	नि० तलाब अदुवाल नजदीक पम्प हाउस	उपलब्ध नहीं है	2018-19	उपलब्ध नहीं है	WCDC/SLNEPASANT)IWDP/IX/2018-19/212	127000	101627	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
2	IWDP	नि० तलाब भुंडाजोड़ी भटोली	उपलब्ध नहीं है	2018-19	उपलब्ध नहीं है	WCDC/SLNEPASANT)IWDP/IX/2018-19/212	55600	42799	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
3	IWDP	नि० तलाब रेडु ब्रोटुवास	उपलब्ध नहीं है	2018-19	उपलब्ध नहीं है	WCDC/SLNEPASANT)IWDP/IX/2018-19/212	95460	95460	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
4	IWDP	नि० तलाब भोगपुर भूरिवाला	उपलब्ध नहीं है	2018-19	उपलब्ध नहीं है	WCDC/SLNEPASANT)IWDP/IX/2018-19/212	66000	60000	उपलब्ध नहीं है	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
5	VKVNY	नि. पक्का पाथ स्ट्रीटसिबरेज महादेव रोड से स्कूल तक	उपलब्ध नहीं है	2022-23	उपलब्ध नहीं है	BDO/NLG/JE-2023-24/2988 D/T 31/10/2023	700000	685869	15952 / 80	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
6	VKVNY	नि. लिंक रोड़ कांगड़ा ,बिलासपुर बस्ती से पीर स्थान भोगपुर	उपलब्ध नहीं है	2020-21	उपलब्ध नहीं है	BDO/NLG/JE-2021-22/6344 D/T 18/2/2022	2037300	1985176	15917 / 23	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
7	VKVNY	नि. लिंक रोड गांव महादेव मिल्खी राम से चेत राम वास	उपलब्ध नहीं है	2021-22	उपलब्ध नहीं है	BDO/NLG/JE-2021-22/6345 D/T 18/2/2022	1556300	1523256	15953 / 60	पूर्ण	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है
							कुल राशि	4194301					

Amrik Singh
सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
नालागढ़ (सोलन) हि०प्र०

-59-47

परिशिष्ट " ट ", पैरा संख्या " 9.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा अनुदान के अंतर्गत ₹ 0.32 लाख का अनियमित/ संदिग्ध भुगतान कि सूचि

(A) माप पुस्तिका में अन्कित माप गणना से अधिक राशि का अनियमित/ संदिग्ध भुगतान करने कि सूचि

क्रम सं०	मस्टरोल संख्या	मस्टर रोल जारी करने कि दिनांक	मस्टरोल अवधि	माप पुस्तिका संख्या/ पृष्ठ संख्या	माप पुस्तिका में मापन कि गई राशि	मस्टर रोल में भुगतान की गई राशि	अधिक/ अनियमित भुगतान की राशि
1	4685	29.02.2024	01.03.2024 से 15.03.2024	3272 / 44-45	5971	7200	1229.00
2	602	04.05.2023	06.05.2023 से 20.05.2023	3272 / 30-31	5075	5940	865.00
3	603	04.05.2023	06.05.2023 से 20.05.2023	3272 / 32-33	2374	5940	3566.00
4	604	04.05.2023	06.05.2023 से 20.05.2023	3272 / 31-32	4670	5940	1270.00
5	3483	11.01.2024	11.01.2024 से 25.01.2024	3274 / 42-43	2208	6360	4152.00
						कुल राशि	11082.00

(B) माप पुस्तिका में गलत तरीके से Adjustment Entries करके, अनियमित/ संदिग्ध भुगतान करने कि सूचि

क्रम सं०	कार्य का नाम	मस्टरोल संख्या (Unskill)	मस्टरोल अवधि	माप पुस्तिका संख्या/ पृष्ठ संख्या	माप पुस्तिका में मापन कि गई राशि	मस्टर रोल में भुगतान की गई राशि.	भुगतान हेतु शेष राशि	मस्टरोल संख्या (Skilled)	माप पुस्तिका संख्या/ पृष्ठ संख्या	मस्टर रोल में भुगतान की गई राशि	अधिक/ अनियमित भुगतान की राशि	टिप्पणी
1	C/O CATTLE SHED JARNAIL SINGH S/O RAM KISHAN (DOLOWAL))	1175	11.05.2022 से 25.05.2022	3272 / 16	6831	6360	471	1178	3272 / 16	5940	5469.00	Skill की मस्टर रोल के भुगतान के लिए अनियमित व संदिग्ध Entries, की गई है
2	C/O CATTLE SHED GURDAYAL SINGH S/O MANSA RAM (DOLOWAL)	1176	11.05.2022 से 25.05.2022	3272 / 15	10014	9540	474	1181	3272 / 15	5940	5466.00	
3	C/O CATTLE SHED MAYA DEVI W/O MILKHI RAM	5601	26.11.2022 से 10.12.2022	3272 / 27	4049	3180	869	5605	3272 / 27	5940	5071.00	
4	C/O CATTLE SHELTER CHET RAM S/O SUKH RAM	5603	26.11.2022 से 10.12.2022	3272 / 25	7723	6360	1363	5606	3272 / 25	5940	4577.00	
										कुल राशि	20583.00	

कुल अनियमित भुगतान (A+B) 31665.00

Kanchan Devi
GRS

DARSHAN SINGH
Technical Assistant (Civil)
Dev. Block Nalagarh
Distt. Solan (H.P.)

Amrik Singh
सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि.प्र.

-31- 48

परिशिष्ट " ठ ", पैरा संख्या " 9.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों की भूमि पर निष्पादित कार्यों के लिए जारी निर्देशों की उल्लंघना करते हुये सामग्री का भुगतान व्यक्तिगत लाभार्थियों के खातों में जमा/प्रतिपूर्ति करने के बजाय आपूर्तिकर्ता को करने के परिणामस्वरूप राशि ₹0.78 लाख के अनियमित भुगतान की सूची

Sl. No.	Work Name (Work Code)	Work Category	Vendor Name	Bill No.	Bill Date (DD/MM/YYYY)	Date of Payment (DD/MM/YYYY)	Bill Amount (Without GST)	GST Amount Paid	Total Amount Paid
1	C/O CATTLE SHED KALAN DEVI W/O LATE JAIPAL (1311004120/IF/32178552)	IF	SATISH KUMAR GOVT. CONTRACTOR(TinNo-02CBVPK7414C1ZS)	47	15.07.2022	22.08.2022	8450.00	422.50	8872.50
2	C/O CATTLE SHED KALAN DEVI W/O LATE JAIPAL (1311004120/IF/32178552)	IF	MS SHIV SHAKTI BRICKS TRADERS(TinNo-02AEHFS3593P1ZG)	626	08.07.2022	22.08.2022	5700.00	285.00	5985.00
3	C/O CATTLE SHED RANBIR SINGH S/O GEETA RAM (1311004120/IF/32178555)	IF	SATISH KUMAR GOVT. CONTRACTOR(TinNo-02CBVPK7414C1ZS)	45	15.07.2022	22.08.2022	5150.00	257.50	5407.50
4	C/O CATTLE SHED RANBIR SINGH S/O GEETA RAM (1311004120/IF/32178555)	IF	MS SHIV SHAKTI BRICKS TRADERS(TinNo-02AEHFS3593P1ZG)	624	08.07.2022	22.08.2022	5700.00	285.00	5985.00
5	C/O CATTLE SHED VINOD KUMAR S/O GURMEL SINGH (1311004120/IF/32178556)	IF	SATISH KUMAR GOVT. CONTRACTOR(TinNo-02CBVPK7414C1ZS)	48	15.07.2022	22.08.2022	6650.00	332.50	6982.50
6	C/O CATTLE SHED DEV RAJ S/O BANSI RAM (1311004120/IF/32186548)	IF	SATISH KUMAR GOVT. CONTRACTOR(TinNo-02CBVPK7414C1ZS)	007	04.07.2022	22.08.2022	2375.00	118.50	2493.50
7	C/O CATTLE SHED VINOD KUMAR S/O GURMEL SINGH (1311004120/IF/32178556)	IF	MS SHIV SHAKTI BRICKS TRADERS(TinNo-02AEHFS3593P1ZG)	497	09.11.2023	29.02.2024	5300.00	636.00	5936.00
8	C/O CATTLE SHED RAVINDER KUMAR S/O ROSHAN LAL BHOGPUR (1311004120/IF/32213033)	IF	SATISH KUMAR GOVT. CONTRACTOR(TinNo-02CBVPK7414C1ZS)	091	12.04.2023	29.02.2024	2737.55	136.88	2874.43
9	C/O CATTLE SHED MAYA DEVI W/O MILKHI RAM (1311004120/IF/32219651)	IF	SATISH KUMAR GOVT. CONTRACTOR(TinNo-02CBVPK7414C1ZS)	086	12.04.2023	29.02.2024	2083.92	104.20	2188.12
10	C/O CATTLE SHELTER CHET RAM S/O SUKH RAM (1311004120/IF/32252852)	IF	SATISH KUMAR GOVT. CONTRACTOR(TinNo-02CBVPK7414C1ZS)	088	12.04.2023	29.02.2024	2130.85	106.54	2237.39
11	C/O CATTLE SHED JARNAIL SINGH S/O RAM KISHAN (DOLOWAL)) (1311004120/IF/32202171)	IF	MS SHIV SHAKTI BRICKS TRADERS(TinNo-02AEHFS3593P1ZG)	1266	31.03.2023	01.08.2023	4200.00	252.00	4452.00

~~524~~ - 49

Kanchan Devi
GRS

Amrik Singh

12	C/O CATTLE SHED GURDAYAL SINGH S/O MANSA RAM (DOLOWAL) (1311004120/IF/32210654)	IF	MS SHIV SHAKTI BRICKS TRADERS(TinNo-02AEHFS3593P1ZG)	1265	31.03.2023	01.08.2023	4200.00	252.00	4452.00
13	C/O CATTLE SHED RAVINDER KUMAR S/O ROSHAN LAL BHOGPUR (1311004120/IF/32213033)	IF	MS SHIV SHAKTI BRICKS TRADERS(TinNo-02AEHFS3593P1ZG)	1267	31.03.2023	20.06.2023	4700.00	282.00	4982.00
14	C/O CATTLE SHED MAYA DEVI W/O MILKHI RAM (1311004120/IF/32219651)	IF	MS SHIV SHAKTI BRICKS TRADERS(TinNo-02AEHFS3593P1ZG)	1061	16.03.2023	01.08.2023	6100.00	366.00	6466.00
15	C/O CATTLE SHELTER SURJAN SINGH S/O NIKKA RAM (1311004120/IF/32252848)	IF	MS SHIV SHAKTI BRICKS TRADERS(TinNo-02AEHFS3593P1ZG)	1264	31.03.2023	01.08.2023	2800.00	168.00	2968.00
16	C/O CATTLE SHELTER CHET RAM S/O SUKH RAM (1311004120/IF/32252852)	IF	MS SHIV SHAKTI BRICKS TRADERS(TinNo-02AEHFS3593P1ZG)	1063	16.03.2023	01.08.2023	5800.00	348.00	6148.00
								कुल राशि	78429.94

Kanchan Devi
GRS

Amrik Singh
सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि.प्र.

-53 50

परिशिष्ट " ड ", पैरा संख्या "10.1 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विवाह शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की सूचि

क्र०सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली योग्य शेष राशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक	रोकड़ बही पृष्ट संख्या
1	जोगिन्दर सिंह	06 .04.2022	13 .05.2022	400	0	400	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है
2	मनोज कुमार	04.05.2022	15.06.2022	400	200	200	121308	15.06.2022	10
3	सुलेमान	08.05.2022	15.06.2022	200	0	200	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है
4	अमित कुमार	13.07.2021	16.08.2022	400	0	400	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है
5	राजेश कुमार	01.02.2023	18.03.2023	400	200	200	121354	11.04.2023	25
6	मनीष कुमार	20.10.2023	23.11.2023	400	200	200	121379	23.11.2023	29
7	सुरेश कुमार	20.10.2023	02.12.2023	400	200	200	121381	02.12.2023	31
8	सुरेन्द्र सिंह	19.02.2024	16.03.2024	200	0	200	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है
			कुल राशि	**2800**	**800**	**2000**			

Amrik Sinh
सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि०प्र०

परिशिष्ट " ढ ", पैरा संख्या "10.2" के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत भोगपुर द्वारा वित वर्ष 2022-23 व 2023-24 में विवाह शुल्क की राशि जिसे सरकारी में जमा ना करने की सूचि

क्र०सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण तिथि	वसूली योग्य राशि	रसीद संख्या	रसीद दिनांक	रोकड़ बही पृष्ट संख्या
1	जोगिन्दर सिंह	06 .04.2022	13 .05.2022	400	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है
2	विजय कुमार	17.04.2022	16.05.2022	200	121307	15.06.2022	10
3	मनोज कुमार	04.05.2022	15.06.2022	400	121308	15.06.2022	10
4	सुलेमान	08.05.2022	15.06.2022	200	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है
5	अमित कुमार	13.07.2021	16.08.2022	400	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है
6	विजय कुमार	21.07.2022	16.08.2022	200	121321	12.08.2022	14
7	अनिल कुमार	15.08.2022	31.08.2022	200	121323	31.08.2022	14
8	कर्म चंद	27.09.2022	12.10.2022	200	121326	12.10.2022	16
9	विक्रम सिंह	09.12.2022	22.12.2022	200	121338	22.12.2022	19
10	रविंदर सिंह	04.12.2022	26.12.2022	200	121339	22.12.2022	19
11	सोमनाथ	09.12:2022	26.12.2022	200	121340	22.12.2022	19
12	दिनेश कुमार	09.02.2023	27.02.2023	200	121347	27.02.2023	22
13	संजीव कुमार ठाकुर	16.02.2023	13.03.2023	200	121351	13.03.2023	23
14	राजेश कुमार	01.02.2023	18.03.2023	400	121354	11.04.2023	25
15	सुखविंदर सिंह	22.02.2023	18.03.2023	200	121355	11.04.2023	25
16	सुरेंदर पाल	12.05.2023	23.05.2023	200	121361	25.05.2023	27
17	भूपेंदर सिंह	03.05.2023	26.05.2023	200	121362	25.05.2023	27
18	मनीष कुमार	20.10.2023	23.11.2023	400	121379	23.11.2023	29
19	रविंदर कुमार	19.11.2023	02.12.2023	200	121380	02.12.2023	31
20	सुरेश कुमार	20.10.2023	02.12.2023	400	121381	02.12.2023	31
21	करमजीत सिंह	26.11.2023	08.12.2023	200	121388	05.01.2024	34
22	राजेश सिंह	29.11.2023	08.12.2023	200	121393	05.01.2024	34
23	शिव कुमार	05.03.2024	16.03.2024	200	121392	05.01.2024	34
24	सुरेन्द्र सिंह	19.02.2024	16.03.2024	200	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है	उपलब्ध नही है
25	नवीन पंवार	06.02.2024	16.03.2024	200	121395	05.01.2024	34
26	मुकेश कुमार	14.02.2024	16.03.2024	200	121396	05.01.2024	34
			कुल राशि	**6400**			

Amrik Singh
सचिव
ग्राम पंचायत भोगपुर
वि०ख० नालागढ़ (सोलन) हि.प्र.

PANCHAYATI RAJ HIMACHAL PRADESH

-54- 52